FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बाप मुकाम ....

आईदान राम बनाम चैनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLR न 261/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री महावीर सोनगरा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर	
14/10/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील किस्म तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 03/11/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर	
03/11/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 05/01/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

सहायक कलक्टर
(SDO) बाप

05/01/2021

क्रमांक / वाद /

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनुपस्थित... प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगण की खातेदारी भूमि शामिल शरीक आई हुई है। खेत के मध्य जो पुरानी मेड़ें व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिगड़ गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के डोलो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के डोलो का सही ज्ञान करने हेतु नेवमबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेवमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेवमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेवमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेवमबन्दी मौके पर कमिश्नर रिपोर्ट जमा करावें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बायतु

क्रमांक / वाद / 20.20/ 1118

दिनांक 05/01/2021

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

1. आईदानराम पुत्र पुराराम जाति भाट निवासी श्री जसनाथ नगर नौसर वगैराह (7)

1. चैनाराम पुत्र राणाराम जाति भाट निवासी श्री जसनाथ नगर नौसर तहसील बायतु बाड़मेर वगैराह (5)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 261/2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा श्री जसनाथ नगर पटवार हल्का नौसर तहसील बायतु जिला बाड्मेर के खेत खसरा नम्बर 69 रकबा 3.3978 हैक्टर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने मे राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपये 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 20.20/ 1119 - 1123

दिनांक:– 05/01/2021

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री आईदानराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण चैनाराम वगैरा
5. थानाधिकारी , पुलिस थाना , गिडा/बायतु/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु